**संख्या- 30/2021/785/33-3-2021-587/2021**

प्रेषक,

**मनोज कुमार सिंह,**
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**अपर निर्वाचन आयुक्त,**
राज्य निर्वाचन आयोग,
उ0प्र0 लखनऊ।

**पंचायतीराज अनुभाग-3** **लखनऊः दिनांक 06 अप्रैल, 2021**

**विषयः- त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 एवं उप निर्वाचन में चुनाव ड्यूटी में तैनात किये जाने वाले कर्मियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-340/रा0नि0आ0-3/पं0नि0/09-21/ 2021, दिनांक 04.03.2021 एवं 698/रा0नि0आ0-3/पं0नि0/ 09-21/2021, दिनांक 25.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 एवं उप निर्वाचनों में चुनाव ड्यूटी में तैनात किये जाने वाले कार्मिकों को संशोधित अनुग्रह राशि भुगतान का अनुरोध किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 एवं उप निर्वाचनों में चुनाव ड्यूटी में तैनात किये जाने वाले कार्मिकों (अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सुरक्षाकर्मियों) तथा निर्वाचन ड्यूटी में लगे सरकारी व निजी वाहनों के चालकों व सम्बद्ध हेल्परों जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन ड्यूटी में नामित किया गया हो, की अनुग्रह राशि के रूप में निम्नलिखित तालिका के अनुसार श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

| **क्र0 सं0** | **विवरण** | **वर्तमान में अनुमन्य अनुग्रह राशि** | **संशोधित/ स्वीकृत अनुग्रह राशि** |
|---|---|---|---|
| **1** | प्रशिक्षण अथवा मतदान/मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में। | रू. 10 लाख | रू. 15 लाख |
| **2** | ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे- आतंकवादी हिंसा/ असामयिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बॉम्ब ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु। | रू. 20 लाख | रू. 30 लाख |
| **3** | उपरोक्त कारणों (जैसे-आतंकवादी हिंसा/ असामयिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बॉम्ब ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि कारणों) से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता (पूरी आंख, हाथ, पैर आदि की पूरी दिव्यांगता) की दशा में। | रू. 10 लाख | रू. 15 लाख |
| **4** | किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता (पूरी आंख, हाथ, पैर आदि पूरी दिव्यांगता) की दशा में। | रू. 5 लाख | रू. 7.50 लाख |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- अनुग्रह राशि (एक्स ग्रेसिया) त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2021 और तत्पश्चात् सम्पन्न कराए जाने वाले उपनिर्वाचनों में मतदान व मतगणना से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं मतदान/मतगणना के कार्यों लगाए जाने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों/जोनल आॅफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर आॅफिसर/ सेक्टर मजिस्ट्रेट /माइक्रो आब्जर्वर, सुरक्षा बलों जिनमें राज्य पुलिस बल, पीएसी, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल व होमगार्डस और निजी वाहन चालक, क्लीनर्स/हेल्पर्स आदि को निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य होगी, जब तक कि इन दरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

3- निर्वाचन अवधि की गणना मतदान/मतगणना कार्य हेतु कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने तथा ड्यूटी समाप्त कर उसके निवास स्थान तक पहुंचने की अवधि तक ही मान्य होगी। निवास स्थान से ड्यूटी स्थल पर पहुंचने तथा ड्यूटी स्थल से निवास स्थान की वापसी की अवधि की गणना उस सीमा तक मान्य होगी, जितना कि सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इस यात्रा हेतु समय लगता है। सुरक्षा बलों की तैनाती के मामले में यह गणना उनके जनपद में आगमन से ड्यूटी के पश्चात् मूल स्थान तक रवानगी तक मानी जायेगी।

4- केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किए जाने की स्थिति में यह गणना उनके प्रदेश में आगमन से ड्यूटी के पश्चात् मूल स्थान पर रवानगी तक मानी जायेगी। जनपद में तैनात मोबाइल सुरक्षा बल भी इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होंगें।

5- ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना होने की स्थिति में अनुग्रह राशि का भुगतान उसी जनपद से किया जायेगा जहां उस कार्मिक की ड्यूटी लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय) को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों के लिए निर्वाचन ड्यूटी हेतु अलग से कोई बीमा नहीं किया जायेगा।

6- जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त प्रत्यक्ष तथा पारिस्थितिक (Both Direct & Circumstantial) साक्ष्यों एवं समस्त अभिलेखों (निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफ0आई0आर0 की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्थायी विकलांगता के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आदि) के साथ उपरोक्त शर्तों के अनुसार अनुग्रह राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग, कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायगा।

7- त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में चुनाव से संबंधित कार्मिकों ( अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों) को अनुग्रह राशि का भुगतान अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-11- पंचायती राज चुनाव हेतु व्यवस्था -42-अन्य व्यय मे उपलब्ध धनराशि से वहन की जायेगी और इस हेतु पृथक से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

8- यह आदेश वित्त विभाग से प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

**<u>संख्या व दिनांकः-तदैव।</u>**

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (आडिट), प्रथम/द्वितीय/उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पंचायती राज लेखा, उ0प्र0 लखनऊ।
8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत) उ0प्र0।
10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/2
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।